प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00205/2023-2024 दिनांक 12/05/2023

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या:R/KUS/01594/2023-2024 पत्रावली संख्या:G-34972 दिनांक:2003-2004

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **श्री राम कृष्ण स्वयंसेवी सेवा संस्थान, ग्राम - दि उनीहा मनिया छपरा , पो० - लक्ष्मीगंज , जनपद - कुशीनगर, कुशीनगर , 274306** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 89/2003-04 दिनांक-30/04/2003 को दिनांक-30/04/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है | 1100 रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(NAGENDRA SINGH)
4CA7842A42A1CE3AFD772B454FF1A5610BCD35E1
Date: 12/05/2023 3:46:39 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-12/05/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश |

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

FIVE RUPEES

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

श्री रामकृष्ण स्वयं सेवी सेवा संस्थान

ग्राम- दि उलौहा मदिरिया छपरा पो० - लक्ष्मीगंज

जि० 3A912

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म सोसाइटीज नवा चिट्ठ

गो० गोरखपुर

31/5/2003

स्मृति पत्र

1- संस्था का नाम : श्री रामकृष्ण स्वयंसेवी सेवा संस्थान

2- संस्था का कार्यालय : ग्राम- दिउलीहा मनिया छपरा,
पोस्ट- लक्ष्मीगंज, जनपद-कुशीनगर(उ0प्र0)

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष ।

4- संस्था का उद्देश्य:

1- बापूजी के रचनात्मक कार्यों के आधारशिला पर ग्रामीणों शिल्पकारिता और दस्तकारी को प्रोत्साहित करना तथा सम्बन्धित कार्य क्षेत्र तैयार करने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना वो सेवा का प्रसार करना एवं बहुमुखी विकास की सम्भावनाएं जगाना।

2- संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्रामों में स्वावलम्बन की भावना जागृत करने हेतु क्षेत्र का शैक्षिक विकास करना। सर्वोदय और अन्त्योदन हितार्थ ऐसे कार्यक्रमों को चलाना जिसमें समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग का समस्त विकास हो सके, उनका जीवन स्तर ऊँचा हो सके। क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग (खादी ग्राम आयोग) के अन्तर्गत आने वाले सभी उद्योगों को स्थापित, संचालन करना और लोगों को रोजगार प्रदान करना।

क्षेत्र के समस्त खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योगों को चलाने में सहयोग करना। क्षेत्र में शिक्षा सफाई एवं चिकित्सा आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति सरकारी और गैर सरकारी तथा अर्द्धसरकारी विभागों बोर्डों निगमों तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (खादी ग्राम आयोग) आदि से ऋण अनुदान लेना व अन्य सहयोग प्राप्त करना तथा राष्ट्रीय कृत बैंकों से ऋण प्राप्त करना। अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जनता से दान अनुदान धन उपहार आदि प्राप्त करना तथा चल अचल सम्पत्ति ग्रहण करना।

5- गाँधी और सर्वोदय विचार धारा के अन्तर्गत साहित्य के प्रचार प्रसार द्वारा लोगों को रचनात्मक कार्यों एवं जीवन की ओर अग्रसारित करना।

6- खादी ग्रामोद्योग की ग्रामीण स्तर पर स्थापना कर ग्रामवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये कार्य करना।

7- क्षेत्र में ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग एवं हस्त शिल्प को स्थापित कर समाज कल्याण के लिये हरिजन जाति भेदभाव एवं छुआ-छूत का उन्मूलन करना तथा हरिजनों के उत्थान की योजना बनाना एवं ग्रामोद्योग कार्यों एवं ग्रामोद्योग का प्रसार करना।

कृपया.....2

मनोज कुमार
नीलम सिंह
अन्जू सिंह
नीलम सिंह
सुवाल सिंह
अभिषेक राव
अजय सिंह
प्रमोद राव
अनिल पाण्डेय
संध्या सिंह
संजय सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
गो० गोरखपुर
31/5/2003

8- युवाओं, महिलाओं व बालकों में राष्ट्रीय एकता सद्भाव, राष्ट्रप्रेम, देश प्रेम एवं सदाचार की भावना जागृत करना।

क- युवा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना ।

ख- युवा वर्ग में स्वावलम्बन की भावना जागृत करना ।

ग- युवा प्रौढ़ों के लिए समयबद्ध साक्षरता कार्यक्रम संचालित करना।

घ- युवा विकास के अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना आदि।

ड.- युवा वर्गो का साक्षरता मिशन चलाना।

9- किसी भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पूर्ण वासन, एवं पूर्नस्थापना ।

10- स्वास्थ्य चिकित्सा, जल प्रबन्ध एवं सैमिटेशन का कार्य करना एवं शोध करना।

1- बाल विकास कार्यक्रमों का संचालन-

क- बालक बालिकाओं के लिए पुस्तकालय, व्यायमशाला एवं क्रीड़ा केन्द्र का संचालन करना।

ख- नये सामाजिक मूल्यों के आधार पर शिशु तथा बालकों के मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के प्रयत्न के लिए केन्द्र की स्थापना कर संचालित करना।

ग- विद्यायों में शिक्षण ग्रहण न कर पाने वाले बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन करना।

घ- बालक बालिकाओं की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था पर विद्यालयों की स्थापना संचालित करना।

ड.- बालक बालिकाओं के लिए रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना।

च- बालक बालिकाओं के लिए स्कूल चलाकर शिक्षा की व्यवस्था करना।

12- सामाजिक कुरीतियों व भ्रष्टाचार जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी आदि के विरूद्ध जनजागरण अभियान चलाना।

13- सांस्कृतिक कार्यक्रमों व विचार गोष्ठी तथा सेमिनार आदि का आयोजन करना देश के निवासियों का सामाजिक मानसिक, नैतिक शैक्षिक व चारित्रिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।

15- महिलाओं के उत्थान के लिए व विकास के कार्यक्रम जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, प्रौढ़ शिक्षा, शत-प्रतिशत साक्षरता आदि का आयोजन करना।

16- सरकार द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे परिवार कल्याण, टीकाकरण, महिला साक्षरता, वृक्षारोपण, निरक्षरता उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, वृद्धाश्रम, संचालन करना ।

मनोज कुमार
नीमा सिंह
अन्जू सिंह
मीतम सिंह
रघुवास सिंह
अभिषेक राव
अजय सिंह
प्रमोद राव
मुख्तार पाश्वान
संध्या सिंह
संजय सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटीज तथा चिट्स
31/5/2003

.....3

17- युवाओं, महिलाओं व बालकों के लिए वाचनालय, पुस्तकालय, व्यायमशाला एवं क्रीड़ केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

18- प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ एवं सूखा से निपटने के लिए राहत कार्यों का संचालन करना।

19- युवाओं, महिलाओं व बालकों को जीवन के हर पहलू के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना।

20- समाचार पत्र, नाटक एवं भजन मण्डलियों की व्यवस्था कर सामाजिक क्षेत्र में निःशुल्क कार्य करना।

21- मद्यनिषेध एवं जीवन घातक दवाओं के प्रति लोगों को सचेत व सावधान करना।

22- समाज के निर्बल वर्ग के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की दिशा में प्रयास करना।

23- राष्ट्रीय एकता हेतु विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को देख-देशान्तर भ्रमण करना।

24- विकलांग व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करने की दिशा में प्रयास करना।

25- साहित्य संगीत एवं कला के प्रति जनरूचि जागृत करना।

26- साहित्य विज्ञान प्रचार, मनोरंजन, सगोष्ठी, सम्मेलन, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रदर्शनी, मेलों आदि का आयोजन करना।

27- मानव सेवा के लिए रचनात्मक कार्य करना।

28- अराजकता, भ्रष्टाचार एवं देश में फैली अशान्ति व बुराईयों के विरूद्ध शिक्षात्मक नाटकों, वीडियों तथा फीचर फिल्मों का निर्माण करना।

29- छात्रों, नवयुवकों एवं नवयुवतियों में गिरती नैतिकता की रोकथाम करना एवं उन्हें नशीले पदार्थों से दूर रखना। देश व समाज के रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए विशेष प्रयास करना।

30- अनाथ, गूंगे, बहरे, नेत्रहीन, बेसहारा व अपंग बच्चों के सहायतार्थ कार्य करना।

31- मंदबुद्धि बच्चों के हितार्थ कार्य करना तथा धर्मार्थ हास्पिटल का निर्माण व संचालन करना।

32- ग्राम विकास व ग्राम सुधार में सहयोग करना तथा पर्यावरण की रक्षा में पूर्ण योगदान देना। खादी ग्रामोद्योग व खादी ग्राम आयोग द्वारा स्वीकृत व्यवसायों व उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत रहना।

33- बेरोजगारों को कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार प्रशिक्षण देना।

अंजू
नीतम सिंह
सुवास सिंह
अभिषेक राव
अजय सिंह
प्रमोद राव
पुष्पेन्द्र पाल चौहान
सन्ध्या सिंह
संजय सिंह

.....4

सहायक रजिस्ट्रार
फर्में सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
31/5/2002

34- खाद्य प्रसस्करण योजना के अन्तर्गत उद्योग की स्थापना करना।

35- सरकारी योजनाओं के द्वारा सड़क व पुल पुलियां व स्कूल का निर्माण करना।

36- महिला समुह बनवाकर खादी ग्राम आयोग द्वारा वित्तीय व्यवस्था कराना।

37- कानून के बल पर समाज की सेवा करने के लिए सरकार से अधिकार दिलाना।

38- पुरूष व महिला को समान अधिकार दिलाना ।

39- बापू के विचारों के प्रचार-प्रसार हेतु ग्रामीण अंचल में राज्य एवं केन्द्र सरकार अथवा बैंक या वित्तीय संस्था से आर्थिक सहायता प्राप्त कर खादी बोर्ड अथवा खादी ग्राम उद्योग की औद्योगिक योजनाओं की स्थापना करना।

5- प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता व पद जिनको नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है:-

क्र0सं0	नाम	पिता/पति	पद	व्यवसाय	पता
1.	श्री मनोज कुमार	पुत्र श्री रामनरेश	अध्यक्ष	कृषि	ग्राम-दिउलीहा मनिया छपरा, पो0-लक्ष्मीगंज,जिला-कुशीनगर
2.	श्रीमती निभा सिंह	पुत्री श्री सुदर्शन सिंह	उपाध्यक्ष	,,	ग्राम-डिग्री टोला,जिला-कुशीनगर
3.	श्रीमती अन्जु सिंह	पुत्री श्री विध्यवासनी सिंह	सचिव	,,	ग्राम-सेमरहना (डिग्री टोला) पो0-लक्ष्मीगंज, जनपद- कुशीनगर
4.	कु0 नीलम सिंह	पुत्री श्री रामनरेश सिंह	कोषाध्यक्ष	,,	,, ,,
5.	श्री सुवास सिंह	पुत्र श्री रामदेवी सिंह	सदस्य	,,	,, ,,
6	श्री अभिषेक राव	पुत्र श्री ओमप्रकाश राव	,,	,,	बशारतपुर, जिला- गोरखपुर
7.	श्री अजय सिंह	पुत्र श्री राम अवध सिंह	,,	,,	ग्रा0-सेमरहना (डिग्रीटोला) पोस्ट-लक्ष्मीगंज, जनपद- कुशीनगर।
8.	श्री प्रमोद राव	पुत्र श्री रामनरेश राव	,,	,,	,, ,,
9.	श्री फूलवदन पासवान	पुत्र श्री रामकिशुन पासवान	,,	,,	,, ,,
10.	श्रीमती संध्या	पुत्री श्री राजबहादुर	,,	,,	,, ,,
11.	श्री संजय सिंह	पुत्र श्री शारदा कुँवर सिंह	,,	,,	ग्रा0 व पो0-कुसमी,जनपद-कुशीनगर

6- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता स्मृति पत्र के अनुसार सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते है।

दिनांक - 19/4/07

- मनोज कुमार
- निभा सिंह
- अंजू सिंह
- नीलम सिंह
- सुवास सिंह
- अभिषेक राव
- अजय सिंह
- प्रमोद राव
- फूलवदन पासवान
- संध्या सिंह
- संजय सिंह

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म तथा सोसाइटी
देवरिया

31/5/2007

सत्यप्रतिलिपि कर्ता
प्रधान कर्ता

31/5/2007

नियमावली

1- **संस्था का नाम** : श्री रामकृष्ण स्वयंसेवी सेवा संस्थान

2- **संस्था का पता** : ग्राम-दिउलीया मनिया छपरा, पोस्ट- लक्ष्मीगंज, जनपद-कुशीनगर (उ0प्र0)

3- **संस्था का कार्यक्षेत्र** : सम्पूर्ण भारत वर्ष ।

4- **संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्ग -**

क- **आजीवन सदस्य** : कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति आजीवन सदस्य हो सकता है जिसके लिए रू0 1000/- नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति एक मुश्त देनी होगी।

ख- **विशेष सदस्य** : जो व्यक्ति संगठन को रू0 500/- नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति देगा। वह एक वर्ष के लिए विशेष सदस्य होगा।

ग- **क्रियाशील सदस्य** : जो व्यक्ति एक बार में रू0 100/- प्रदान करेगा वह एक वर्ष के लिए क्रियाशील सदस्य होगा वह सदस्य चुनाव में भाग ले सकेगा।

घ- **प्राथमिक सदस्य** : जो व्यक्ति प्रत्येक वर्ष रू0 50/- संगठन को प्रदान करेगा वह संगठन का प्राथमिक सदस्य होगा।

5- **सदस्यता की समाप्ति**

1- **किसी सदस्य या पदाधिकारी के अवैधानिक अथवा असहयोग से संगठन के अशिष्ट की संभावना हो तो इस स्थिति के स्पष्टीकरण का पूरा अवसर देने के पश्चात् अध्यक्ष आवश्यक समझे तो संगठन की सदस्यता से वंचित कर सकेगा।**

2- मृत्यु, पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर ।

3- लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर भी यदि आवश्यक समझे तो अध्यक्ष सदस्यता से वंचित कर सकेगा।

4- नियमित शुल्कजमा करने पर ।

5- एक बार सदस्यता से वंचित हो जाने पर पुनः समुचित आश्वासन देने पर यदि कार्यकारिणी समिति उचित समझे तो पुनः सदस्यता शुल्क देने पर सदस्यता ग्रहण का अधिकार दे सकेगी।

मनोज कुमार

अनन्द सिंह

नीलम सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
सर्व सोसाइटीज तथा चिट्स
गो0 गोरखपुर
31/5/2003

क्रमशः.....2

6- **संस्था के अंग-** : क- साधारण सभा
ख- कार्यकारिणी समिति

7- **साधारण सभा-**

1- **गठन** : साधारण सभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर होगा।

2- **बैठक** : साधारण सभा की बैठक साल में एक बार होगी विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

3- कोरम : साधारण सभा की बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा।

4- **सूचनावधि** : **साधारण सभा की बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व दे दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व देनी अनिवार्य होगी।**

5- **कार्य एवं अधिकार** : कार्यकारिणी समिति का चुनाव करना तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट पास करना आदि।

6- वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि कार्यकारिणी समिति 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय करेगी।

8- **कार्यकारिणी समिति-**

1- **गठन** : **साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों से कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायेगा।**

मनोज कुमार

अन्जू सिंह

नीरज सिंह

पदाधिकारियों व सदस्यों की कुल संख्या 11 होगी जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई व घटाई जा सकती है जिसमें अध्यक्ष-1,उपाध्यक्ष-1,सचिव-1,[illegible],कोषाध्यक्ष-1 तथा सदस्य- 7 होंगे।

2- बैठक : कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होगी तथा आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

3- कोरम : कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होगा।

4- सूचनावधि : सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों व पदाधिकारियों को 7 दिन पूर्व दी जायेगी व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
31/5/2003

.....3

5- **कार्य एवं अधिकार**

क- संस्था के उद्देश्यों को पूरा करना।

ख- वार्षिक रिपोर्ट, बजट तैयार करना।

ग- दान, चन्दा व राजकीय सहायता प्राप्त कर विकास कार्यों में लगाना।

घ- संगठन की उन्नति के लिए सभी आवश्यक कार्य करना।

ड.- प्रशासनिक कर्मचारियों के मानदेय [illegible] का निर्धारण करना व प्रशासनिक ढांचा तैयार करना।

च- परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रम को घटाना बढ़ाना व समाप्त करना।

द- संचालन मण्डल व निदेशक मण्डल का गठन करना।

6- **कार्यकाल** : कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

9- <u>प्रबन्ध समिति/संस्थापक</u> : श्री मनोज कुमार [illegible] इस संस्था के संस्थापक हैं।

10- <u>कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य-</u>

मनोज कुमार

अन्जू सिंह

शीला सिंह

<u>अध्यक्ष:</u>

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

3- सदस्यों की सदस्यता हेतु स्वीकृति देना।

4- संगठन का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।

5- कार्य व्यय के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।

6- समस्त बिल वाउचर पर हस्ताक्षर करना।

7- राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना।

8- अदालती कार्यवाही संगठन की ओर से करना।

9- कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन पदोन्नति, वेतन वृद्धि करना।

<u>उपाध्यक्ष:</u>

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त कार्य करना व सहयोग देना।

2- अलग से होने वाली साधरण सभा की बैठक की अध्यक्षता करना।

सहायक रजिस्ट्रार
एवं सोसाइटीज तथा चिट्स
[illegible] बरेली
31/5/2003

....4

सचिव-

1- संस्था की ओर से महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार करना।

2- बैठक के लिए दिनांक अनुमोदन करना, परिवर्तन करना।

3- संचालित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।

4- संगठन के अभिलेख प्रस्तुत करना एवं विकास हेतु कार्य करना।

5- समस्त आय-व्यय का आख्या रखना। समस्त कोष के संचालन पर नियंत्रण रखना वो संचालन करना।

कोषध्यक्ष-

1- आय-व्यय का लेखा जोखा करना।

2- अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

3- दान व चन्दा प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।

11- **रिक्त स्थानों की पूर्ति व नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-**

क- रिक्त स्थानों की पूर्ति-

कार्यकारिणी समिति के अन्दर शेष स्थान होने पर उसकी पूर्ति 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा शेष कार्य काल तक के लिए की जायेगी।

मनोज कुमार

अन्जू सिंह

नीलम सिंह

ख- संशोधन प्रक्रिया-

कार्यकारिणी समिति के बहुमत से नियमों में संशोधन व परिवर्तन किया जायेगा परन्तु वह संशोधन व परिवर्तन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक साधारण सभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास न कर दें।

12- संस्था को कोष-

संस्था के कोष के संचालन के लिये संस्था के सचिव, अध्यक्ष, सदस्य, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा। संस्था का खाता किसी राष्ट्रीयकत बैंक/डाकखाना में संस्था के नाम से खोला जायेगा।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
जोधपुर
31/5/2003

13- **आडिट-**

संस्था की वार्षिक आय-व्यय की जॉच साधारण सभा द्वारा नियुक्ति आडिटर से कराई जायेगी।

14- **संस्था के अभिलेख-**

1- सदस्यता रजिस्टर
2- **कार्यवाही रजिस्टर**
3- स्टाक रजिस्टर
4- कैश बुक
5- लेजर
6- सदस्यता बुक
7- **कैश मेमो इत्यादि ।**

15- **अदालती कार्यवाही संचालन-**

संस्था पर कोई मुकदमा चलाता है या संस्था किसी पर मुकदमा चलाती है तो पक्ष विपक्ष की पैरवी का दायित्व अध्यक्ष, सचिव पर होगा या-इनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य सदस्य पर होगा.

16- विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

Bois - 19.4.03

मनोज कुमार
नीमा सिंह
अन्द्ध सिंह
नीलम सिंह
सुधारन सिंह
अभिषेक राव
अजय सिंह
प्रमोद राव
फूलचंद पासवान
सध्या सिंह
संजय सिंह

सत्य प्रतिलिपि
"हाउस रजिस्ट्री"
31/5/2003

प्रतिलिपि कर्ता
प्रमाण कर्ता
31/5/2003

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

SHRI RAM KRISHNA SWYAM SEVI
SEVA SANSTHAN



30/04/2003

Permanent Account Number

AAATR8885N

22042015